भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025

Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/यू.पी./04/22/2018/एफ.सी./ 1145 दिनॉकः 03.07.2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण),
एवं नोडल अधिकारी,
वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

ONLINE PROPOSAL NO. FP/UP/TRANS/31506/2018

विषय : 765 के0वी0 डबल सर्किट उरई–अलीगढ़ पारेषण लाईन(पार्ट–4) के निर्माण हेतु हाथरस में 1.0082 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं उस पर अवस्थित 11 वृक्षों के पातन, अलीगढ़ में 0.6595 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं उस पर अविस्थित 46 वृक्षों व 280 पौधों के पातन कुल 1.6677 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 337 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ–: पत्रांक सं0 2356/11सी– FP/UP/TRANS/31506/2018, लखनऊ, दिनांक 16.06.2019.

महोदय,

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक–2543/उरई–अलीगढ़ लाइन (समेकित–1.6677 हे0)/31506/2018, दिनांक–27.02.2018/का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी। उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 19.11.2018 द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रस्तुत कर दी गई है।

प्रश्नगत प्रकरण में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार 765 के0वी0 डबल सर्किट उरई–अलीगढ़ पारेषण लाईन(पार्ट–4) के निर्माण हेतु हाथरस में 1.0082 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं उस पर अवस्थित 11 वृक्षों के पातन, अलीगढ़ में 0.6595 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं उस पर अविस्थित 46 वृक्षों व 280 पौधों के पातन कुल 1.6677 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 337 वृक्षों/पौधों के पातन की विधिवत स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती हैः–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (1.6677 x 2 = 3.3354 ha.) अर्थात् 3.3354 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जाएगा। उक्त वृक्षारोपण का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 01 वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाएगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा पारेषण लाईन के नीचे प्रस्तावित वन भूमि में बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जाएगा। उक्त वृक्षारोपण का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 01 वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाएगा।
4. प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के उल्लंघन के बारे में विधि सम्मत् कार्रवाई पूरी की जाएगी तथा इसकी सूचना क्षेत्रीय कार्यालय को दी जाएगी।
5. अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।
6. क्षतिपूरक वृक्षारोपण शुद्ध वर्तमान मूल्य एवं अन्य सभी धनराशि Campa fund में e-portal द्वारा जमा की जाएगी एवं e-receipt उपलब्ध करवाई जाएगी।
7. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर पक्षियों के बचाव के लिए bird deflector उपलब्ध करवाया जाएगा जिसे पारेषण लाईन upper conductor पर स्थापित किया जाएगा।

8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मंत्रालय के पत्रांक 7–25/2012–एफ.सी दिनांक 05.05.2014 द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया जाएगा प्रस्ताव में दिए गए ले आउट मैप में बिना भारत सरकार के पूर्वानुमति के परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

10. परियोजना से संबंधित समान ढुलाई के लिए एवं अन्य प्रयोजन के लिए अतिरिक्त मार्ग निर्माण नहीं किया जाएगा।

11. पारेषण लाईन का संरेखण इस प्रकार किया जाएगा कि इसमें काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम हो।

12. पारेषण लाईन के लिए राइट आफॅ वे (right of way) की चौड़ाई 67 मीटर तक सीमित रहेगी।

13. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल कार्ययोजना के अनुसार वन विभाग की देख–रेख में किया जायगा।

14. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एंव जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।

15. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।

16. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।

17. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।

18. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

19. प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। प्रत्येक पीलर पर कमांक,डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जाएगी। उक्त सीमांकन का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 03 माह के भीतर पूर्ण किया जाएगा।

20. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

21. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा इस विधिवत् स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

(के0के0 तिवारी)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर वन महानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
3. विशेष सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
4. वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
5. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, अलीगढ़ एवं हाथरस।
6. उप महाप्रबन्धक, पावरग्रिड कार्पो0 आफ इंडिया लि0, अलीगढ़।
7. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
8. आदेश पत्रावली।

3/7/14

(के0 के0 तिवारी)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}